मनोरंजन कर विभाग उत्तर प्रदेश

5-The Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records, held by it or under its control or used by its employee for discharging its functions.

मनोरंजन कर विभाग द्वारा सिनेमा एवं अन्य आमोदों का नियंत्रण, विनियमन तथा कराधान हेतु निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमावलियों का प्रयोग किया जाता है–

1. **उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,1955** उक्त अधिनियम सिनेमा भवनों के निर्माण, उसमें स्थापित होने वाले उपकरण, सिनेमा लाइसेंस प्रदान करने, लाइसेंस भार्ते निर्धारित करने एवं उनके उल्लंधन की दशा में अर्थदण्ड लगाने से सम्बंधित है। इसमें स्थायी /अस्थायी सिनेमा, वीडियो सिनेमा एवं वीडियो लाइब्रेरी को लाइसेंस लेने की बाध्यता, लाइसेंसिंग प्राधिकारी की सीमाओं को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत लाइसेंस को निलंबित करने व प्रतिसंहित करने, धारा–8 के अंतर्गत समक्ष न्यायालय द्वारा दंड, धारा–8–ए के अंतर्गत सिनेमा स्वामी द्वारा इस हेतु लिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर अपराध भामन करने के प्राविधान हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध शमन का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट तथा मनोरंजन कर आयुक्त दोनों में निहित है। इस अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन हेतु प्रक्रिया विहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दो नियमावलियां प्रख्यापित की गयी हैं–

1. **(क) उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली,1951–** इस नियमावली में केवल सिनेमागृहों के निर्माण से सम्बंधित आवेदन पत्र देने, निर्माण की अनुमति प्रदान करने तथा निर्माणोपरांत लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रियायें विहित हैं। इसके अंतर्गत सिनेमा भवन में दर्शकों की सुविधा हेतु स्वच्छता, अग्निशमन–सुरक्षा,विद्युत सुरक्षा, आसन व्यवस्था, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था के सम्बंध में मानक एवं प्राविधान निहित हैं। वर्तमान में यही नियमावली मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं लाइसेंस की कार्यवाही पर भी प्रभावी है। इसी नियमावली के अंतर्गत अस्थायी सिनेमा को लाइसेंस देने एवं नवीनीकृत करने सम्बंधित प्रक्रियायें भी विहित हैं।

   (ख) उत्तर प्रदेश वीडियो प्रद र्शन(विनियमन) नियमावली,1988– इस नियमावली के अन्तर्गत स्थायी व अस्थायी वीडियो सिनेमागृहों के निर्माण ,लाइसेंस प्रदान करने सम्बंधी प्रक्रिया विहित है। इसके साथ ही इसमें वीडियो लाइब्रेरियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी विहित है। इसमें स्थायी वीडियो सिनेमा भवन के मानक तथा इसमें दर्शकों की सुविधा हेतु सफाई, सुरक्षा, आसन व्यवस्था एवं ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था सम्बंधी प्राविधान भी निहित हैं। इस नियमावली में स्थायी व अस्थायी वीडियों सिनेमाओं की अवस्थिति के सम्बन्ध में भी ऐसे स्थानीय क्षेत्र जहां स्थायी भवन में छविगृह चल रहे हैं, वहां से दूरियां भी विहित हैं।

2. **<u>उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979</u>**– यह अधिनियम लाइसेंस/अनुज्ञा प्राप्त आमोदों से कर की वसूली के सम्बंध में प्राविधान करने तथा इस कार्यवाही में अनियमितता बरतने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक/ कर निर्धारण की कार्यवाही हेतु प्रख्यापित है। इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न आमोदों के लिये कर की दर निर्धारित करने हेतु अधिसूचनायें जारी करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी आमोद को कर देयता के उत्तरदायित्व से मुक्त भी कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार किसी आमोद /फिल्म/ दर्शकों के किसी वर्ग को सामान्य जन के लाभार्थ कर–मुक्त कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख उल्लेखनीय प्राविधान निम्नलिखित हैं–

(1) कोई भी व्यक्ति किसी कर देय प्रदर्शन का आयोजन बिना सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचित किये बिना नहीं कर सकता।

(2) कोई व्यक्ति वैध एवं उचित टिकट के बिना किसी आमोद में प्रवेश नहीं कर सकता।

(3)यदि किसी आयोजक द्वारा किन्ही कारणों से मनोरंजन कर अधिक जमा कर दिया गया हो तो उसे वापस करने हेतु सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करने तथा नियमानुसार वापस करने या समायोजित करने की व्यवस्था है।

(4) कोई व्यक्ति किसी आमोद के टिकट को लाभ के लिये पुनः विक्रय नहीं कर सकता है।

(5) कर अपवंचन का प्रकरण पाये जाने पर मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा कर निर्धारण के साथ–साथ अधिकतम रू0 20 हजार तक शास्ति भी लगायी जा सकती है।

(6) किसी आमोद के स्वामी द्वारा निरीक्षण अधिकारियों को उचित सहयोग दिये जाने की बाध्यता है। निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण हेतु किसी भी अभिलेख की मांग कर सकता है जिसे प्रस्तुत करने की बाध्यता आमोद के स्वामी पर है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी भी अभिलेख को अपने कब्जे में लिया जा सकता है।

(7) करापवंचन की स्थिति तथा अन्य अनियमिततायें पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा प्रदत्त लाइसेंस /अनुज्ञा को निलम्बित/प्रतिसंहत भी किया जा सकता है।

(8) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अनियमितता के लिये आमोद के स्वामी द्वारा इस निमित्त लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है।

(9) इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत न जमा करने पर ब्याज का प्राविधान भी है।

इस अधिनियम के अंतर्गत बाजी कर,, टोटलाइजेटर कर तथा मनोरंजन कर का उदग्रहण का प्राविधान भी है। यह प्राविधान धुड़दौड़ पर बाजी लगाने के संदर्भ में भी प्रभावी होता है।

इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन हेतु प्रक्रिया विहित करने के लिये निम्नलिखित दो नियमावलियां राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित की गयी है–

(क) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली,1981–

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 में उक्त अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं को लागू कराने हेतु प्रक्रिया विहित की गयी है जिसके अंतर्गत मुख्यतः टिकट का प्रारूप, टिकट जारी किया जाना जिसमें कम्प्यूटर द्वारा टिकट विक्रय व्यवस्था भी है, कर का राजकोष में भुगतान की प्रक्रिया, कर सम्मत भुगतान, की प्रक्रिया विहित की गयी

है। इस नियमावली में जिला मजिस्ट्रेट अथवा मनोरंजन कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध होकर शासन के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया, सिनेमा स्वामी के विरूद्ध नोटिस तामील करने की प्रक्रिया तथा अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए दायर वादों की पैरवी की प्रक्रिया भी विहित है।

(ख) उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली,1997– इस नियमावली के अंतर्गत केबिल टेलीविजन नेटवर्क को अनुमति दिये जाने, प्रतिमाह एकत्रित मनोरंजन कर राजकोष में जमा करने, प्रतिभूति जमा करने, नोटिस को तामील करने तथा किसी आदेश से क्षुब्ध होकर अपील दायर करने संबंधी प्रक्रियाएं विहित हैं। इस नियमावली में देय मनोरंजन कर निर्धारित समयान्तर्गत राजकोष में जमा न करने पर ब्याज लगाने की प्रक्रिया भी विहित है। इस नियमावली में प्रमुख बात यह है कि प्रत्येक केबिल आपरेटर को केबिल संयोजन देते समय उपभोक्ताओं को पंजीकरण कार्ड जारी करना अनिवार्य है।

उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत समय–समय पर शासन द्वारा निम्न निर्देश भी जारी किये गये हैः–

(i)अनुमोदित फिल्मों का अनिवार्य प्रदर्शन– अधिसूचना संख्या–तीस.एम.(16)/81–वित्त (म0कर) अनुभाग, दिनांक 11.01.1982 के द्वारा प्रत्येक लाइसेंस गृहीता को अपने छविगृह के प्रत्येक प्रदर्शन में कम से कम दो हजार फिट लम्बी अनुमोदित फिल्म का प्रदर्शन करना अनिवार्य किया गया है, जिससे समय–समय पर देश में हो रही घटनाओं/शासन की नीतियों की जानकारी सिनेमा के माध्यम से जन सामान्य को कराया जा सके।

(ii) उ0 प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,1955 की धारा 7, जिसमें किसी अनियमितता पाये जाने पर लाइसेंस निलम्बन/प्रतिसंहन/निरस्त करने का प्राविधान है, के संदर्भ में अधिसूचना संख्या– बीस.एम.(47)–(2)–76–वित्त (मनो.कर) अनुभाग, दिनांक 19 मई, 1977 के द्वारा मनोरंजन कर आयुक्त को भी लाइसेंस प्राधिकारी बनाया गया है।

(iii) उ0 प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,1955 की धारा 8–क, जिसमें किसी अपराध का शमन करने का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी को है, के संदर्भ में अधिसूचना

संख्या–2146/11–म0क0–91–बीस.आर.(7)–91, दिनांक 11.10.1991 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के साथ–साथ मनोरंजन कर आयुक्त को भी लाइसेंस प्राधिकारी बनाया गया है।

(iv) उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–8, जिसमें शासन को आमोद के स्वामी से कर जमा करने हेतु, ऐसी शर्त जैसा विहित करे, पर कहने का अधिकार है, के संदर्भ में अधिसूचना संख्या–तीस.ई.बी.–5(2)–76–वित्त (मनो0कर) अनुभाग, दिनांक 17.8.1981 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट तथा मनोरंजन कर आयुक्त को अधिकृत किया गया है।

(v) उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 11(1) के अन्तर्गत बाल फिल्म समिति, भारत द्वारा निर्मित/अधिगृहीत फिल्मों को करमुक्त करने का अधिकार अधिसूचना संख्या–तीस.ई.बी.–4(25)–75–वित्त (मनो0कर) अनुभाग, दिनांक 08.10.1985 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया है।

(vi) उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–32 के अतंर्गत पुलिस को सूचना देने हेतु अधिसूचना संख्या–तीस ई0बी0–6 (2)–76–टी0सी0 दिनांक 24.10.91 के द्वारा आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त (मुख्यालय), मनोरंजन कर अधिकारी (मुख्यालय), को पूरे उत्तर प्रदेश के लिये तथा सहायक आयुक्त, जिला मनोरंजन कर अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट को सम्बन्धित जिले के लिये प्राधिकारी अधिकृत किया गया है।

(vii) उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 3–क के अन्तर्गत सिनेमा स्वामियों को करमुक्त अनुरक्षण प्रभार वसूलने का प्राविधान है। शासनादेश संख्या 105/11–क.नि.–6–2002–तीस–ई0बी0–1(6)/2001दिनांक 09.04.2002 के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सिनेमा स्वामी वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में एकत्रित अनुरक्षण प्रभार आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रयुक्त कर ली जाये तथा दिनांक 31 जुलाई तक पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा–जोखा चार्टेर्ड एकाउन्टेट से सत्यापित कराकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाये।

3– **उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981–** इस अधिनियम के अन्तर्गत सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों जिसमें लघु चित्र,ट्रेलर,स्लाईड अथवा अन्य प्रकार के विज्ञापन सम्मिलित है, के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर वसूल करने लेखा–जोखा रखने, कर की देयता से छूट देने, करापंवचन की स्थिति कर का निर्धारण करने, निरीक्षण करने, शास्ति लगाने आदि के प्राविधान है। इस अधिनियम में एकत्रित विज्ञापन कर की धनराशि स्थानीय निकाय को भुगतान करने का प्राविधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उ0प्र0 विज्ञापन कर नियमावली, 1983 प्रख्यापित की गयी है जिसमें अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन की प्रक्रिया भी की गयी है।

4– **उ0प्र0 धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, 1952–** इस अधिनियम के अन्तर्गत सिनेमा के श्रोतालय में प्रदर्शन के दौरान धुम्रपान को प्रतिबन्धित किया गया है तथा ऐसा करते पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति को धुम्रपान करने से मना करने का प्राविधान है। यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को उप निरीक्षक से अनिम्न

स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने का प्राविधान है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर रू0 50 तक अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जा सकता हैं।

उक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी कतिपय अधिनियम/नियमावलियाँ प्रख्यापित की गयी हैं, जिन्हें राज्य सरकार (कर एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत मनोरंजन कर विभाग) द्वारा व्यवहृत किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

(1)– सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1952– इस अधिनियम के अध्याय । तथा अध्याय ।। फिल्मों के प्रमाणन तथा अध्याय ।।। में फिल्म प्रदर्शन का विनियमन संबंधी प्राविधान हैं। उत्तर प्रदेश मे फिल्म प्रदर्शन का विनियमन हेतु उ0 प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,1955 प्रख्यापित है। इस कारण उत्तर प्रदेश में सिनेमाटोग्राफ एक्ट,1952 का भाग । एवं ।। ही प्रभावी है। इन प्राविधानों के अनुपालन के लिए सिनेमाटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) रूल्स, 1983 प्रख्यापित हैं।

(2)– द इन्डीसेन्ट रिप्रजेन्टेशन आफ वोमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट,1986– इस अधिनियम के अन्तर्गत स्त्रियों का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों, पुस्तकों, पम्पलेटों का प्रकाशन या डाक द्वारा प्रेषण को प्रतिषेध किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे संदिग्ध स्थानों में प्रवेश, तलाशी का अधिकार किसी राजपत्रित अधिकारी को प्रदत्त है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय है तथा जमानतीय हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु **द** इन्डीसेन्ट रिप्रजेन्टेशन आफ वोमेन (प्रोहिबिशन) रूल्स, 1987 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें अशिष्ट सामग्रियों को सीज करने,पैक करने तथा बर्ताव करने तथा सील करने की रीति आदि विहित है।

(3)– केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम,1995– इस अधिनियम में केबिल टेलीविजन नेटवर्क का पंजीकरण, प्रोग्राम कोड, विज्ञापन कोड, रजिस्टार का रख–रखाव, दूर–दर्शन के चैनलों का अनिवार्य प्रसारण, मानक उपस्करों का उपयोग तथा किसी दूसरे दूर संचार में हस्तक्षेप न करने संबंधी प्राविधान हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत अनियमितता पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नेटवर्क का उपस्कर अधिगृहीत करने, अधिहरण करने तथा अर्थदण्ड सहित कारावास की सजा का भी प्राविधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय होंगे। लोकहित में किसी कार्यक्रम अथवा किसी केबिल टेलीविजन का संचालन प्रतिषिद्ध करने की भी शक्तियॉ प्राधिकृत अधिकारी में निहित हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स नियमावली,1994 केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जिसमें नेटवर्क का पंजीकरण करने, प्रोग्राम कोड, विज्ञापन कोड, रजिस्टर रखने आदि की प्रक्रिया विहित है। वर्तमान में प्रत्येक जनपद के मुख्य डाकघर के मुख्य डाकपाल को पंजीकरण अधिकारी अधिसूचित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मनोरंजन कर आयुक्त, अपर आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा जिला मनोरंजन कर अधिकारी अधिकृत हैं।

.....